सकने योग्य विभिन्न मूल्य के कितने करेंसी नोट राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को भेजे गए;

(ख) इन में से विभिन्न मूल्य के कितने करेंसी नोट प्रतिवर्ष नष्ट किए गए तथा कितने पुनः प्रचालिन के लिए वापस किए गए;

(ग) रद्द किए गए, सड़े-गले और कटे-फटे करेंसी नोटों को न बदलने तथा नए नोटों के पर्याप्त संख्या में जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक के पास नष्ट करने के लिए जमा करेंसी नोटों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबीप्रसाद पाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पर्याप्त संसाधन जुटाए जाने हेतु सुझाव

1297. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस०एस० सुरजेवाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995-96 के आर्थिक सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त संसाधन जुटाए जाने हेतु सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबीप्रसाद पाल): (क) से (ग) संसाधनों की सख्त तंगी के बावजूद सरकार ने पिछले तीन बजटों में सामाजिक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय पूल आवंटनों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में काफी अधिक वृद्धि की है। सामाजिक क्षेत्रों के लिए उच्चतर बजटीय आवंटनों की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 की आर्थिक समीक्षा में इस बात पर बल दिया गया है कि केन्द्र तथा राज्यों दोनों द्वारा उपयुक्त संसाधन जुटाने होंगे।

विद्युत नीति के विरुद्ध विरोध

1298. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार की वर्तमान विद्युत नीति के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विद्युत नीति में कतिपय परिवर्तन करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

Clearance of Hypothecation Accounts by PNB

1299. SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether PNB, Zonal Office in Calcutta has not yet sorted out the issues pertaining to clearance of hypothecation accounts of various vehicle owners;

(b) whether in the case of some of the vehicle owners even after clearing their dues to the bank, prolonged litigations are still going on; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) Punjab National Bank (PNB) has reported that as per available records, no such issue pertaining to clearance of hypothecation accounts of various vehicle owners, is pending in the Zonal Office of the Bank at Calcutta.

(b) PNB has also reported that there is no such case reported to the bank where prolonged litigation is continuing even after dues to the bank are cleared.

(c) The bank has, however, mentioned that in one loan account in a branch at Calcutta, a suit was filed for non payment of dues. In the account, during the pendency of the suit, a compromise offered by third party was accepted in terms of which waivement of interest was

allowed subject to payment by the party of other dues as also the legal charges incurred so far. The party deposited the other dues but not the legal expenses. As a result, the bank could not withdraw the suit till date, thus incurring further legal expenses.

'Non-serious' private power project proposals

1300. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem appearing in the Hindu dated 22nd February, 1996 under the Caption "Most Private Power Project Proposals Non-Serious";

(b) if so, whether it is a fact that 75% of the power project proposals submitted by the Private Sector are "Non-serious";

(c) if so, in what manner Government propose to complete the task of grounding serious proposals; and

(d) the details of steps taken to complete the scrutiny of serious power sector proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) 106 expressions of interest exceeding Rs. 100 crores on the Memorandum of Understanding (MOU)/ Letter of Intent (LOI) etc. route have been received for setting up of power projects in the private sector, Central Electricity Authority has accorded 'in principle' clearance to 39 of the 48 proposals received. Techno-economic clearance of CEA has been accorded to 14 out of the 29 proposals received.

(c) and (d) Ministry of Power has made it obligatory on the part of State Governments to go in for competitive bidding and MOUs have not been allowed beyond 18.2.1995. The Ministry of Power has fixed a dead-line of 31st March, 1996 to all the proposals in the MOU/LOI etc. route for obtaining the 'in principle' clearance of CEA, failing which, the proposals will be put on the competitive bidding route.

देश में उच्च शक्ति और निम्नशक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थापना

1301. **श्री नागमणि:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्यवार क्रमश: कितने उच्च शक्ति, निम्नशक्ति और बहुत ही निम्नशक्ति के ट्रांसमीटर तथा कितने ट्रान्पोंडर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या कुछ ट्रान्समीटर परियोजनाएं चालू होने के निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और ऐसी परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) यद्यपि आठवीं योजना (1.4.92 से 29.2.96 तक) के दौरान अभी तक भिन्न-भिन्न शक्तियों के 273 टी.वी. ट्रांसमीटर चालू कर दिए गए हैं तथापि, संलग्न विवरण में दिए गए राज्य वार ब्यौरों के अनुसार आठवीं योजना स्कीम के एक भाग के रूप में फिलहाल 345 ट्रांसमीटर परियोजनाएं विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वियनाधीन हैं। **(नीचे देखिए)**।

(ख) आठवीं योजना के लिए दूरदर्शन का अनुमोदित परिव्यय 2300 करोड़ रुपये है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ट्रांसमिशन सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं। तथापि धनराशि का राज्य वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) परियोजना स्थलों की दूरी तथा दुर्गम भू-भाग स्थितियों, आधारभूत सुविधाओं की प्राप्ति में देरी, टावरों के निर्माण में विलम्ब तथा सक्षम प्राधिकारी से नये सिरे से अनुमोदन लेने के लिए परियोजनाओं के लागत अनुमानों को संशोधित करने के लिए बाध्य करने वाली लागत वृद्धि जैसे विभिन्न कारणों से मोकोकचुंग,